FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Madhya Pradesh
Office of the District Collector Chhatarpur

NO. 3854 Dated 25/8/15

TO WHOM SOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forests (MoEF). Government of India's letter No.11-9/98-FC(pt) 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional forest Dwellers(Recognition of forest rights) Act 2006 (' FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest propose. It is certified that 4279 ha forest land proposed to be diverted in favour of National Water Development Agency (name of user agency) for Daudhan Major Dam under Ken –Betwa Link Project phase-I (purpose for diversion of forest land) in Chhatarpur district falls within jurisdiction of 10 villages in Bijawar tehsil. It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4279 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meeting of the Forests Rights Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 01 to 218 annexure.

(b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications in vernacular /local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest Dwellers who are eligible under the FRA.

(c)The each of concerned Gram Sabha (s) , has certified that all formalities /processes under the FRA have been carried out , and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures , if any, having understood, the purpose and details of propose diversion. A copy of certificate issued by the sabha of 9 Villages (s) (village Mainari included in Sukhwaha Gram sabha) is enclosed as annexure 01 to 220

(d)The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.

(e)The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under Section 3(2) of the FRA have been completed and the Gran Sabha have given their consent to it;

(f)The right of Primitive Tribals Groups and Pre-Agricultural Communities , where applicable have been specically safeguarded as per section 3(1)(e) the FRA.

Encl: As above

25/08/15
कलेक्टर जिला छतरपुर (म०प्र०)
Distt. Chhatarpur

District Orginaser
Tribal Welfare Department
Chhatarpur (M.P.)

बैठक दिनाँक 25/08/2015

बैठक दिनांक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में 25/08/15 को 2:30 बजे किया गया जिसकी अध्यक्षता कलेक्टर महोदय ने समस्त माननीय सदस्यो की उपस्थिति में की निम्न प्रस्ताव समिति के समक्ष निराकरण हेतु रखा गया।

1.प्रस्ताव क्रमांक 1:– राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय भारत सरकार की ओर से केन वेतबा लिंक परियोजना के अन्तर्गत दौधन बांध वृहद परियोजना का कार्य प्रस्तावित है। वन भूमि संरक्षित वन क्षेत्र 4279 हे0 छतरपुर डिवीजन में की डूब क्षेत्र में आने से व्यपवर्तन प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निम्नानुसार ग्राम वनाधिकार समिति एवं ग्राम सभाओं के माध्यम से उपखंड स्तरीय समिति बिजावर से प्राप्त हुआ है।

1.खरयानी कम्पार्टमेंट क्रमांक –496,497,499,500,482,483,479,501,502,505,503,495,494,434,
2. ढोड़न कम्पार्टमेंट क्रमांक – 544,542,541,539,
3.पलकोहा कम्पार्टमेंट क्रमांक – 536,537,538,
4.मैनारी–सुकवाहा कम्पार्टमेंट क्रमांक – 508,509,510,525,
5.घुंघरी कम्पार्टमेंट क्रमांक –430,431,437,438,439,440,441,442,
6.भोरखुआ कम्पार्टमेंट क्रमांक – 511,512,523,524,506,507,508,
7.वसुधा कम्पार्टमेंट क्रमांक – 433,
8.शहपुरा कम्पार्टमेंट क्रमांक – 416,443,517,518,519,
9.कुपी कम्पार्टमेंट क्रमांक – 432,

उक्त ग्रामों के कम्पार्टमेंटो में से कुल 4279 हैक्टेयर वन भूमि के व्यापवर्तन प्रस्ताव जिला स्तरीय समिति को प्राप्त हुए है जिसमें अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासियों के व्यक्तिगत एवं सामुदायिक दावे प्राप्त नही हुए अतः उक्त 10 ग्रामों की वनाधिकार समिति एवं ग्राम सभाओं ने प्रस्ताव सर्व सम्मति से 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ पारित कर भेजा जो उपखंड स्तरीय समिति द्वारा पारित कर प्रस्ताव जिला स्तरीय समिति को प्राप्त हुआ।

उपखंड स्तरीय समिति के प्रस्ताव को निर्णय हेतु इस बैठक में रखा गया ग्राम वनाधिकार समिति एवं ग्राम सभाओं एवं उपखण्ड स्तरीय समिति के निर्णय से सहमत होते हुए समस्त अभिलेखीय दस्तावेजों के अवलोकन उपरान्त प्रस्ताव पर विचार कर सर्वसम्मति से पारित कर व्यपवर्तन प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया।

वनसंरक्षक/सदस्य सामान्य वन मण्डल छतरपुर म0प्र0	जिला संयोजक/सचिव आदिम जाति कल्याण छतरपुर म0प्र0	कलेक्टर/अध्यक्ष जिला छतरपुर म0प्र0
सदस्य जिला स्तरीय वन अधिकार समिति जिला छतरपुर म0प्र0	सदस्य जिला स्तरीय वन अधिकार समिति जिला छतरपुर म0प्र0.	सदस्य जिला स्तरीय वन अधिकार समिति जिला छतरपुर म0प्र0

Annexur-II

FORM-II
(For Projects Other than Linear Projects)
Government of m.p.
Office of the District Collector Panna

No ……..

Date-

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of environment and forests (MOEF) Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd august 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act. 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that compartment no. P-484, P-485, P-486 P-1276, P-1277, P-478, P-1279, P-1287 and total area 979.00 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Ken betwa link project Ministry of water Resources, River Development and ganga Rejuventation, govt.of india** falls within jurisdiction of Badgadi, Bilahta, Koni, majholi, jhalar, khamri village Tahsil panna and gunour Disstrict panna (s) in Panna, gunour tahsils. state m.p.

it is further certified that :

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 979.00 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulation and meetings of the forest rights committee(s), gram sabha (s), sub-division level committee (s) and the district lavel committee are enclosed as annuexure-02.

(b) the proposal for sub diversion (with full details of the project and ts implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concened gram sabha of forest-dwellers, who are eligible under tha FRA,

(c) the each of concerned gram sabha(s), has certified that all formalities/ processes under tha FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion A copy of certificate issued by the gram sabha of Badgadi, Bilahta, Koni, majholi, jhalar, khamri villages (s) is enclosed as annexure-02.

(d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when their was a quorum of minimum 50 % of the members of gram sabha present:

(e) the diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the gram sabha s have given their consent to it;

(f) the rights of primitive tribal groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as persection 3(1) (e) of the FRA,

9.11.15

Collector
Distt.Panna M.P.

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति पन्ना

<u>संबंधित अनुभाग के अध्यक्ष द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमाण पत्र</u>

1– प्रमाणित किया जाता है कि जिला पन्ना के *ग्राम कटहरी बिलहटा ,मझौली एवं कोनी से 5 कि. मी. की दूरी पर* वन क्षेत्र के कक्ष कमांक RF 484, 485, 486 एवं RF 478 पन्ना जिले के अंतर्गत कुल रकवा 979 हैक्टेयर जिसमें से उपखंड पन्ना के अंतर्गत 465.27 हैक्टेयर रकवा जो बांध परियोजना के लिये व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित है, में अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत व्यपवर्तन एवं अधिकारों के व्यवस्थापन की सम्पूर्ण प्रकिया पूर्ण की जा चुकी है।

अभिलेखो के आधार पर यह पाया गया दौधन बांध परियोजना में व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित **कुल रकवा 465.27** हेक्टेयर वन भूमि पर उसके चारो ओर निवासरत किसी व्यक्ति या समुदाय का कोई भी दावा अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत लंबित अथवा अनिर्णित नही है।

2– यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि व्यपवर्तन का उपरोक्त प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत पात्र वन निवासियों की ग्राम सभा के समक्ष रखा जा चुका है। प्रस्ताव का विस्तृत विवरण तथा उसके प्रभावों की व्याख्या उन्हें स्थानीय भाषा में की जा चुकी है। अथवा यह कि व्यपवर्तन हेतु आवेदित क्षेत्र पर किसी व्यक्ति या समुदाय का कोई दावा नही होने के कारण यह बिन्दु लागू नही है। (जो लागू नही हो उसे काटॅ दे) साथ ही अनुभाग पन्ना के अन्तर्गत सम्पूर्ण आवेदित वन क्षेत्र **465.27** हैक्टेयर में किसी रहवास या राजस्व ग्राम की सीमा नही है। (यदि लागू हो तो)

3– प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्ताव पर चर्चा एवं निर्णय केवल तभी लिया गया जब उपखण्ड स्तरीय समिति के उपस्थित सदस्यों का न्यूनतम 50 प्रतिशत कोरम पूर्ण था। (यदि कंडिका 2 के प्रकाश में लागू हो)

4– यह भी प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) (ई) के अनुसार आदिम जनजाति समूहो और कृषि पूर्व समुदायों के अधिकारों को विशेष रूप से सुरक्षित किया गया है।

5– यह प्रमाणित किया जाता है कि शासन द्वारा प्रबंधित की जाने वाली सुविधाओं हेतु वन भूमि व्यपवर्तन की कार्यवाही (यदि कोई हो) अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (2) की आवश्यकता अनुसार पूरी की जा चुकी है तथा प्रभावित ग्राम सभाओं की इसमें सहमति है अथवा कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है एवं पूर्ण की जावेगी (जो भी लागू हो)

संलग्नः– उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति का प्रस्ताव

15/10/15

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं
अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति
पन्ना,जिला–पन्ना,म0प्र0

सचिव
वन.उ.स. पन्ना

अ0 अ0 उ0 वन

Govt.of MadhyaPradesh
मध्य प्रदेश शासन

OFFICE OF THE ASS. DIRECTOR
Panna Tiger Reserve
Panna, Madhya Pradesh, (India)
PHONE NO. +917732-252135 (O) FAX +917732-252120
E-mail: fdptr82@gmail.com Website: www.pannatigerreserve.in

Panna Tiger Reserve
पन्ना टाईगर रिजर्व

क्रमांक / मा.चि. / 2015 / 3895 / पन्ना, दिनांक 07/8/2015

प्रति,

जिला संयोजक,
आदिम जाति एवं
अनु.जा.क.वि.पन्ना (म0प्र0)

विषय :– केन–बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत वनभूमि व्यपवर्तन नवीन फार्म–1 एवं 11 से संबंधित अनुसूचि जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) वन अधिनियम 2006 के तहत् प्रमाण–पत्र जारी करने के संबंध में।

संदर्भ :– आपका पत्र कमांक / 1268 / वन / आ.जा.क. / 2015 दिनांक 01.08.2015

––––00––––

उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र द्वारा राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण जल संसाधन केन वेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत वन भूमि व्यपवर्तन नवीन फार्म–1 एवं 11 से संबंधित अनुसूचि जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) वन अधिनियम 2006 के तहत् चाही गई (व्यक्तिगत एवं समुदायिक अधिकारों के वन भूमि) व्यपवर्तन के प्रकरणों की जानकारी निरंक है।

आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित है।

उप संचालक,
पन्ना टाइगर रिजर्व,
पन्ना (म.प्र.)

Annexur-I

FORM-I
(For Projects Other than Linear Projects)
Government of m.p.
Office of the District Collector Panna

No 2759........

Date- 10.11.15

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of environment and forests (MOEF) Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd august 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act. 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted read with MOEF's letter dated 5th februry 2013 wherein moEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that compartment no. P-484, P-485, P-486 P-1276, P-1277, P-478, P-1279, P-1287 and total area 979.00 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Ken betwa link project Ministry of water Resources, River Development and ganga Rejuventation, govt.of india** falls within jurisdiction of Badgadi, Bilahta, Koni, majholi, jhalar, khamri village Tahsil panna and gunour Disstrict panna (s) in Panna, gunour tahsils. state m.p.

it is further certified that :

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 979.00 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulation and meetings of the forest rights committee(s), gram sabha (s), sub-division level committee (s) and the district lavel committee are enclosed as annuexure-02.

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the gram sabhas have given their consent to it:

(c) the proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and preagricultural communities.

9.11.15
Collector
Distt.Panna M.P.

D:\DOTW-later-02.doc

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति गुनौर जिला पन्ना (म.प्र.)

क्रमांक/889 /भू-अर्जन/2015 गुनौर, दिनांक : 24/9/15

प्रति,

कलेक्टर महोदय,
(आ.जा.क.शाखा)
जिला पन्ना (म.प्र.)

विषय :- **राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय भारत सरकार अंतर्गत दौधन बांध बृहद परियोजना हेतु ग्राम खमरी ग्राम पंचायत रामपुर के डूब क्षेत्र में प्रभावित लगभग 513.73 हे0 वन भूमि व्यपवर्तन हेतु एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।**

विषयान्तर्गत राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय भारत सरकार की केन-बेतवा लिंक परियोजना अंतर्गत दौधन बांध बृहद परियोजना हेतु ग्राम खमरी ग्राम पंचायत रामपुर की वन भूमि संरक्षित वन क्षेत्र पन्ना जिले के अंतर्गत कुल 979 हे0 रकवा में से उपखण्ड गुनौर के अंतर्गत 513.73 हे0 रकवा डूब क्षेत्र में आ रहा है। ग्राम वनाधिकार समिति एवं ग्राम सभा के माध्यम से प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति गुनौर को प्राप्त हुआ है। जिसमें अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासियों के व्यक्तिगत एवं सामुदायिक दावे प्राप्त नहीं हुए हैं। ग्राम की वनाधिकार समिति एवं ग्राम सभा में सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है। दिनांक 17.08.2015 को ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा सर्व सम्मति से पारित इस प्रस्ताव में एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र जारी किये जाने की सहमति दी गई है। प्रस्ताव की प्रति व ग्राम सभा की सहमति संलग्न है।

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति गुनौर की बैठक दिनांक 24/9/2015 को आहूत कर उक्त विषय पर चर्चा की गई। उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा केन-बेतवा लिंक परियोजना अंतर्गत दौधन बांध बृहद परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित 513.73 हे0 वन भूमि व्यपवर्तन किये जाने हेतु सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित कर एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र जारी किये जाने की सहमति दी गई है। प्रस्ताव की सत्य प्रतिलिपि संलग्न है।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु श्रीमान् जी की ओर सादर प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

अनुविभागीय अधिकारी
एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार
समिति गुनौर जिला पन्ना (म.प्र.)

पृ.क्र./890 /भू-अर्जन/2015 गुनौर, दिनांक : 25/9/15

प्रतिलिपि :

1. अधिशासी अभियंता, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

24/9/15

अनुविभागीय अधिकारी
एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार
समिति गुनौर जिला पन्ना (म.प्र.)

(270)

कार्यालय कलेक्टर (आदिम जाति कल्याण शाखा) टीकमगढ़ म0प्र0

क्र0 3655 / वन अधि0 / 2015 टीकमगढ़ दिनांक 2.11.2015

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी,
एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय समिति
जतारा / निवाडी /

विषय केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत वनभूमि व्यपवर्तन नवीन फार्म 1 एवं 11 से संबंधित अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिनियम 2006 के तहत दावा प्राप्त न होने संबंधी प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में

संदर्भ अमर श्री नायक अधिशासी अभियंत्रा राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण का पत्र कमांक 1958-61 दिनांक 9.10.2015

संदर्भित पत्र द्वारा राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सिंचाई क्षमता बढ़ाने हेतु केन बेतवा लिंक परियोजना प्रस्तावित की गई जिसके अंतर्गत केन नदी पर दौधन बॉध प्रस्तावित है दौधन बाध से प्रस्तावित नहर म0प्र0 के टीकमगढ़ जिले की अंतर्गत पलेरा /जतारा एवं निवाडी तहसील संलग्न सूची में दर्शित ग्रामों में वन भूमि आ रही है इस वन भूमि का व्यपवर्तन फार्म 1 एवं 11 हेतु वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2007 के तहत FRA प्रमाण पत्र चाहा गया है ।

अतः वन भूमि का व्यपवर्तन हेतु ग्रामों की सूची एवं ग्राम सभा से जारी होने वाले प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न है । अतः कृपया "अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्यपरम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2007 के तहत कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ और नहीं दावा अनिर्णीत पाया गया" संबंधित प्रमाण पत्र (मानचित्र सहित)निर्धारित प्रपत्र में भिजवाने का कष्ट करें ।

संलग्न उपरोक्तानुसार

1341
14-12-15

जिला संयोजक,
आदिम जाति कल्याण
टीकमगढ़ म0प्र0

पृ0क्र0 3656 / वन अधि0 / 2015 टीकमगढ़ दिनांक 2.11.15

प्रतिलिपि,

श्री अमर श्री नायक अधिशासी अभियंता राष्टी जल विकास अभिकरण शाहपुरा भोपाल

जिला संयोजक,
आदिम जाति कल्याण
टीकमगढ़ म0प्र0